

आज दिनांक 14.11.2012 को एन0आर0एच0एम0 की बैठक उपायुक्त, चतरा की अध्यक्षता में विकास भवन के सभाकक्ष में हुई, जिसमें निम्नांकित पदाधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित हुए :-

सदस्यों की उपस्थिति :- पंजी में दर्ज है ।

### बैठक की कार्यवाही

**प्रस्ताव सं0 01 :-** सिविल सर्जन, चतरा द्वारा सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारियों को आदेशित किया गया कि प्रत्येक तीन माह में सहिया का बैठक आयोजन करना है, जिसमें प्रत्येक सहिया को बैठक में शामिल होने के लिए पचास रुपये नगद भुगतान करना है एवं पच्चीस रुपये का नास्ता सहिया को कराना है, ताकि सहिया को बैठक में आने के लिए उत्सुकता बढ़ेगी ।

**प्रस्ताव सं0 02 :-** आर0आई0 भुगतान से संबंधित जो भी बैकलॉग लंबित है उसे दिनांक 25.11.2012 तक सभी प्रखंड कार्यक्रम प्रबंधक भुगतान करना सुनिश्चित करेंगे ।

**प्रस्ताव सं0 03 :-** सिविल सर्जन चतरा द्वारा प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, चतरा को आदेशित किया गया कि वे अपने निगरानी में जिला कार्यक्रम प्रबंधक एवं जिला लेखा प्रबंधक से समन्वय स्थापित कर मो0 फारुक, भूतपूर्व प्रखंड कार्यक्रम प्रबंधक, के लंबित मामले में अपने स्तर से कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

**प्रस्ताव सं0 04 :-** सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारियों एवं प्रखंड लेखा प्रबंधको को आदेशित किया गया कि आर0आई0 में बैकलॉग भुगतान में ए0एन0एम0 द्वारा सहिया के संबंध में कार्य करने का 75 प्रतिशत होने का प्रमाण पत्र देंगे उसे भुगतान करना सुनिश्चित करेंगे । प्रमाण पत्र गलत पाये जाने पर संबंधित ए0एन0एम0 पर कार्रवाई की जायेगी । साथ ही सहिया से संबंधित सभी भुगतान ससमय करने का निदेश दिया गया ।

**प्रस्ताव सं0 05 :-** अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, चतरा द्वारा सभी प्रखंड लेखा प्रबंधको को आदेशित किया गया कि मुख्य मंत्री जननी सुरक्षा योजना में प्रसव के दिन ही लाभुक को भुगतान करना सुनिश्चित करेंगे । मुख्य मंत्री जननी सुरक्षा योजना के भुगतान में सबसे निम्न व्यय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र प्रतापपुर एवं चतरा का है, इसपर खेद व्यक्त किया गया ।

**प्रस्ताव सं0 06 :-** दिनांक 17.12.2012 को प्रमंडलीय स्तर पर सरकार के प्रधान सचिव, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखंड राँची के अध्यक्षता में बैठक निर्धारित की गई है । उस बैठक की तैयारी अभी से ही अपने स्तर से करना सुनिश्चित करेंगे ।

**प्रस्ताव सं0 07 :-** सिविल सर्जन, चतरा द्वारा ग्राम स्वास्थ्य समिति का पूर्णगठन के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई। सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारियों एवं प्रखंड कार्यक्रम प्रबंधको को निदेश दिया गया कि अपने अधीनस्थ बी0टी0टी0 से भी0एच0एस0एन0सी0 का प्रपत्र सूची अतिशीघ्र प्राप्त कर संबंधित खाता में Untide Fund की राशि हस्तांतरित करना सुनिश्चित करेंगे ।

**प्रस्ताव सं० 08 :-** भी०एच०एस०एन०सी० का पुर्नगठन ~~में~~ मुखिया रूचि नहीं ले रहे हैं उस संदर्भ में उप विकास आयुक्त, चतरा से अनुरोध किया गया कि वे अपने स्तर से एक पत्र सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को भेजे, ताकि वे अपने अधीनस्थ मुखिया को भी०एच०एस०एन०सी० पुर्नगठन करने हेतु प्रेरित करना सुनिश्चित करेंगे ।

**प्रस्ताव सं० 09 :-** उप निदेशक स्वास्थ्य सेवाएँ, झारखंड रॉची के पत्रांक 2165/12(आर०सी०एच०) दिनांक 03.11.2012 के आदेशानुसार सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारियों को निदेशित किया गया कि अपने अधीनस्थ सहियाओं को व्यक्तिगत बैंक खाता माह नवम्बर 2012 के अंदर खोलवाना सुनिश्चित करेंगे, ताकि सहियाओं को प्रोत्साहन राशि ससमय एवं सुव्यस्थित रूप से मिल सके ।

**प्रस्ताव सं० 10 :-** सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि एन०आर०एच०एम० अंतर्गत जितने भी कार्यक्रम चल रहे हैं, उसमें लिपिक के द्वारा यदि किसी प्रखंड में कार्य लिया जा रहा है तो अविलम्ब अपने अधीनस्थ प्रखंड लेखा प्रबंधक को प्रभार दिलाकर कार्य करना सुनिश्चित करेंगे, ताकि एन०आर०एच०एम० कार्यक्रम प्रभावित ना हो सके ।

**प्रस्ताव सं० 11 :-** उप विकास आयुक्त, चतरा द्वारा सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि एन०आर०एच०एम० कार्यक्रम अंतर्गत जिसका उपलब्धि बहुत निम्न स्तरीय है उस प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी एवं संबंधित कर्मचारियों की सूची सिविल सर्जन चतरा अपने माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे, ताकि उसकी समीक्षा कर अग्रेतर कार्रवाई की जा सके ।

**प्रस्ताव सं० 12 :-** प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, हंटरगंज के द्वारा बताया गया कि स्वास्थ्य उपकेन्द्र, हटवरिया का भवन अभी तक विभाग को हस्तांतरण नहीं हुआ है एवं छत से पानी का सिपेज होना शुरू हो गया है । इस संदर्भ में सिविल सर्जन चतरा द्वारा सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारियों को आदेशित किया गया कि भवन से संबंधित जितने भी मामले लंबित हैं उनकी सूची तैयार कर संबंधित प्रतिवेदन यथा शीघ्र अद्योहस्ताक्षरी को दें, ताकि प्रतिवेदन संकलित कर संबंधित उच्चाधिकारी को भेजा जा सके ।

**प्रस्ताव सं० 13 :-** ममता वाहन की संख्या सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्रतापपुर एवं टंडवा में बहुत कम रहने के कारण उस पर खेद व्यक्त किया गया तथा निदेश दिया गया शीघ्र ही ममता वाहन की संख्या बढ़ाई जाय ।

**प्रस्ताव सं० 14 :-** विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम जो 22 नवम्बर 2012 से 03 दिसम्बर 2012 तक निर्धारित है के संबंध में अद्योहस्ताक्षरी द्वारा सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारियों से जानकारी ली गई । इस कार्यक्रम का एक्शन प्लान दिनांक 16.11.2012 तक जिला कार्यक्रम प्रबंधक के पास जमा करने का निदेश दिया गया ।


**प्रस्ताव सं० 15 :-** जिला मलेरिया पदाधिकारी चतरा के द्वारा सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारियों से प्रखंडवार मलेरिया कार्यक्रम के संबंध में समीक्षा की गई, जिसमें पाया गया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, टंडवा, चतरा एवं प्रतापपुर में कार्य संतोषप्रद नहीं है । संबंधित प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि कार्य में व्यक्तिगत रूचि लें ।


**प्रस्ताव सं० 16 :-** प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, हंटरगंज ने कर्मचारियों की कमी के कारण चार एम०पी०डब्लू० को पदस्थापन करने की माँग की है । प्रखंड में डेंगु मरीज पाये जाने के कारण तीन

सौ बैग डी0डी0टी0 पाउडर की भी माँग की है, ताकि पूरे प्रखंड में डी0डी0टी0 पाउडर का छिडकाव किया जा सके ।

**प्रस्ताव सं0 17 :-** प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, टंडवा ने मलेरिया रोक थाम हेतु मशीन से फौगिंग स्प्रे कराने का अनुरोध किया है इस पर जिला मलेरिया पदाधिकारी, चतरा ने आश्वस्त किया कि मशीन की उपलब्धता को देखते हुए प्राथमिकता के आधार पर सभी प्रखंड में फौगिंग स्प्रे कराया जायेगा ।

अंत में धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई ।


  
असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-  
मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी,  
चतरा ।  
14.11.12

  
उपायुक्त,  
चतरा ।

ज्ञापांक 1464 /

चतरा, दिनांक 14.11.12 .

- प्रतिलिपि :- सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी/सभी कार्यक्रम पदाधिकारी चतरा जिला अंतर्गत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।
- प्रतिलिपि :- जिला मलेरिया पदाधिकारी, चतरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।
- प्रतिलिपि :- अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, चतरा को सूचनार्थ प्रेषित ।
- प्रतिलिपि :- उप विकास आयुक्त, चतरा को सूचनार्थ प्रेषित ।
- प्रतिलिपि :- अभियान निदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, झारखंड राँची को सूचनार्थ प्रेषित ।
- प्रतिलिपि :- सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखंड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित ।

  
उपायुक्त,  
चतरा ।